पत्रसं0-चे0पो0-25क-परिपत्र /2008/ 0803/00 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(चेक पोस्ट अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 03 फरवरी, 2009

समस्त
जोनल एडीशनल कमिश्नर/एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0/अपील)/
ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक / वि0अनु0शा0/अपील/उ0न्या0कार्य/सर्वो0न्या0कार्य)
डिप्टी कमिश्नर /असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी ,
वाणिज्य कर उ0प्र0 ।

Key word 1-47-IMPORT / Verification Forms/ Penalty

पूर्व में सचलदल इकाईयों द्वारा वाहनों की जॉच के संबंध में मुख्यालय के परिपत्र संख्या-1419 व्यापार कर दिनांक 16-10-03, परिपत्र संख्या-जमा प्रमाण पत्र -05-06/ 2475 / व्यापार कर दिनांक 22-12-05 व परिपत्र संख्या-स0के0-25क-3115 दिनांक 17-03-06 व परिपत्र संख्या-स0के0-25क- 04-05-1304 / व्यापार कर दिनांक 27-09-06 व परिपत्र संख्या-वैट परिपत्र (07-08)/ 496 / वाणिज्य कर दिनांक 08-01-08 द्वारा निर्देश दिये गये हैं ।

दिनांक 01-01-08 से प्रदेश मे वैट प्रणाली लागू की गयी है जिसके अन्तर्गत व्यापार के प्रत्येक स्तरपर होने वाली मूल्य वृद्धि पर करदेयता आकृष्ट होती है । वैट अधिनियम की धारा-48 में परिवहन किये जाने वाले माल के निरीक्षण व अभिग्रहण की व्यवस्था की गयी है । इस संबंध में व्यापारी द्वारा जारी टैक्स इनवायस / बिलों आदि की चेकिंग से जहॉ उनके द्वारा की गयी बिक्री पर करदेयता सुनिश्चित होती है वहीं दूसरी ओर अनुवर्ती सम्व्यवहारों मे निहित मूल्य वृद्धि पर प्राप्त होने वाले कर की देयता भी सुनिश्चित होती है परन्तु इस प्रकार के निरीक्षण / चेकिंग में यह सुनिश्चित किया जाना है कि पंजीकृत व्यापारियों का इस जॉच से कोई अनावश्यक उत्पीड़न न हो और उनके व्यापार मे व्यवधान भी उत्पन्न न हो परन्तु दूसरी ओर गैर पंजीकृत एवं अवैध व्यापार द्वारा किये जा रहे करापवंचन पर प्रभावी अंकुश भी लगे ।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये पंजीकृत एवं अपंजीकृत व्यापारियों के लिये माल के परिवहन के दौरान जॉच के संबंध मे अब विस्तार से निम्न निर्देश जारी किये जा रहे हैं । इस परिपत्र मे उल्लिखित बिन्दु दृष्टान्त स्वरुप हैं । जो बिन्दु इस परिपत्र से आच्छादित नही है उनमें विधिनुसार कार्यवाही की जाये :-

पंजीकृत व्यापारियों के संबंध में

1. यदि ,माल के साथ प्रदेश के पंजीकृत व्यापारी द्वारा जारी मुद्रित तथा क्रमांकित टैक्स इन्वायस / सैल्स इन्वायस /चालान /बिल / कैशमेमो / ट्रान्सफर इनवाइस में से कोई एक डाकूमेन्ट उपलब्ध हो तो व्यापारी के अभिलेख जांच हेतु नही मंगाये जाएगे । करापवंचन का संदेह होने पर सचल दल अधिकारी संदर्भित प्रपत्रों की प्रतियॉ व्यापारी से प्राप्त कर अपनी टिप्पणी के साथ विक्रेता व्यापारी के कर निर्धारक अधिकारी को भेज देगे ।
2. माल का अभिग्रहण केवल उसी दशा मे किया जाएगा जब माल बिना प्रपत्रों के परिवहित किया जा रहा हो, माल के सम्बध मे घोषणा पत्र चोरी का अथवा जाली हो, अथवा परिवहित माल अभिलेखो मे उल्लिखित माल से भिन्न अथवा अधिक पाया जाए अथवा जब माल के साथ वांछित प्रपत्र उपलब्ध न हो ।
3. फार्म-38 में कालम संख्या- 2 व 3 में यदि वजन / परिमाप तथा मात्रा में से कोई एक कालम संलग्न प्रपत्रों के अनुसार सही भरा है तो दूसरे कालम में प्रविष्टि न होने के आधार माल को नहीं रोका जायेगा, ऐसी स्थिति में फार्म 38 में प्रविष्टि कराकर अपनी मुहर सहित हस्ताक्षर करनें के उपरान्त वाहन को जाने दिया जायेगा ।
4. फार्म-38 के कालम संख्या-6 में अंकित बिल/ कैशमेमों/ चालान / टैक्स इनवायस आदि में से कोई भी एक प्रपत्र फार्म-38 के साथ उपलब्ध है तथा उसकी प्रविष्टि कालम 6 में है, तो माल नहीं रोका जायेगा ।
5. टैक्स इनवायस / बिल आदि पर बुक संख्या अंकित न होने पर माल को न रोका जाये । इस आशय का संशोधन वैट नियमावली में किया जा चुका है ।

6. यदि प्रान्त के अंदर आयात किया जा रहा माल देश के बाहर से प्रान्त के पंजीकृत व्याारी द्वारा आयात किया गया हो तथा इम्पोर्ट से संबंधित प्रमाण माल के साथ उपलब्ध हो परन्तु आयात किये जा रहे माल के साथ संलग्न फार्म 38 पर बिल संख्या व दिनांक अंकित नही है परन्तु माल की मात्रा एवं मूल्य अंकित है , ऐसी स्थित मे फार्म 38 पर समस्त प्रविष्टियॉ पूर्ण कराकर तथा फार्म 38 पर अपनी मुहर सहित हस्ताक्षर करने के उपरान्त वाहन को जाने दिया जाये ।

7. यदि फार्म 38 पर माल का विवरण मूल्य , बिल संख्या / चालान संख्या एवं दिनांक एवं परिवहन किये जा रहे वाहन से संबंधित समस्त विवरण अंकित होने के बावजूद माल की मात्रा अंकित न हो , ऐसी स्थित मे फार्म 38 पर माल की मात्रा का विवरण बिल / चालान / कैशमेमों के अनुसार दर्ज कराकर तथा फार्म 38 पर अपनी मुहर सहित हस्ताक्षर करने के उपरान्त वाहन को जाने दिया जाये ।

8. यदि फार्म 38 पर माल का विवरण , मात्रा , मूल्य , बिल संख्या / चालान संख्या एवं दिनांक आदि माल से संबंधित सभी विवरण तथा ट्रक नंबर दर्ज है परन्तु ट्रान्सपोर्टर द्वारा भरें जाने वाले अन्य कोई विवरण अंकित किये जाने से रह गये हैं तो ऐसी स्थिति में फार्म 38 पर माल से संबंधित विवरण दर्ज कराकर तथा फार्म 38 पर अपनी मुहर सहित हस्ताक्षर करने के उपरान्त वाहन को जाने दिया जाये ।

9. टैक्स इनवाइस को छोड़कर अन्य किसी डाकूमेन्ट के प्री आथेन्टिकेशन की बाध्यता नहीं है । अत: टैक्स इनवाइस को छोड़कर शेष प्रपत्रों के आधार पर परिवहित माल को केवल इस आधार पर न रोका जाय कि वह प्रपत्र प्री आथेन्टिकेटेड नहीं है ।

10. किसी भी माल का बिल टैक्स इनवाइस आदि फर्जी होने की सूचना अथवा अंदेशा होने पर, बिलो का सत्यापन दूरभाष / विशेष वाहक द्वारा कराने के उपरान्त ही फर्जी बिल के आधार पर अभिग्रहण की कार्यवाही की जाएगी । बिल फर्जी होने का सत्यापन वाहन रोकने के 24 घण्टे के अंदर उपरोक्तानुसार कराकर वाहन रोके जाने या छोडे जाने का निर्णय ले लिया जाएगा ।

11. उत्तर प्रदेश के पंजीकृत व्यापारी के प्रपत्रो से परिवहन किये जा रहे माल के सम्बन्ध मे निम्न स्थितियो मे यह विश्वास करने का कारण होगा कि माल का विक्रेता बोनाफाइड डीलर नही है अथवा पाये गये सम्व्यवहार की प्रविष्टिया उसकी लेखा पुस्तको मे नियमित रूप से नही है । ऐसे मामलो मे अभिग्रहण की कार्यवाही की जाएगी :-

(I) जहॉ फर्जी टिन नम्बर और /या फर्जी नाम से बिल, चालान आदि छपा कर उनकी आड़ मे माल का परिवहन किया जा रहा हो ।

(II) जहॉ किसी फर्म के नाम से टैक्स इनवाइस आदि छपा कर उस पर किसी अन्य व्यापारी का टिन नम्बर डालकर माल का परिवहन किया जा रहा हो ।

(III) जहॉ व्यापारी के जांच के दौरान रोके गये पहले के टैक्स इनवाइसों आदि से मिलान करने पर प्रश्नगत प्रपत्र स्पष्ट रूप से दोहरे सेट से जारी किया जाना प्रमाणित होता हो ।

(IV) जहॉ पहले प्रयुक्त हो चुके टैक्स इनवायस आदि की आड़ मे उन्ही प्रपत्रो पर पुन: माल ले जाया जाना प्रमाणित हो ।

12. जिन वस्तुओ पर ट्रासपोर्ट मेमो (फार्म-21) लागू किया गया है, उनमे माल के परिवहन के समय उल्लब्ध फार्म - 21 के आरम्भिक 12 कालम समुचित रुप से भरे होने तथा द्वितीय भाग मे ट्रान्सपोर्टर द्वारा भरे जाने वाले कालमों मे यदि ट्रक नंबर भरा हो तो वाहन नही रोका जायेगा तथा ट्रान्सपोर्ट संबंधी अन्य कालम पूर्ण कराते हुये तथा फार्म पर अपनी मुहर सहित हस्ताक्षर करने के उपरान्त वाहन को जाने दिया जाये ।

13. किसी भी वाहन को बिना उच्च अधिकारी की अनुमति के 24 घण्टे से अधिक नही रोका जाएगा ।

14. पंजीकृत व्यापारियो द्वारा प्रान्त से प्रान्त के अन्दर माल के परिवहन के समय, माल के साथ कोई एक वैध प्रपत्र न पाये जाने पर माल को अभिग्रहीत करते समय देय कर की दो गुनी, अथवा माल के मूल्य का 40 प्रतिशत, जो भी कम हो, जमानत जमा करायी जाएगी । पंजीकृत व्यापारियो द्वारा प्रान्त से प्रान्त के बाहर माल का परिवहन करते समय कोई एक वैध प्रपत्र न पाये जाने पर जमानत की धनराशि माल पर देय कर की तीन गुनी अथवा माल के मूल्य का 40 प्रतिशत जो कम हो जमा करायी जाएगी । इसी प्रकार प्रान्त बाहर से प्रान्त अन्दर बिना आयात घोषणा पत्र

अथवा आयात घोषणा पत्र मे घोषित माल से भिन्न माल, करापवंचन के उद्देश्य से आयात किये जाने पर जमानत की धनराशि माल पर देय कर का तीन गुना अथवा माल के मूल्य का 40 प्रतिशत, जो भी कम हो, ली जाएगी।

मुख्यालय स्तर पर समीक्षा में यह पाया गया है कि अधिकतर जमानत पंजीकृत व्यापारियों से जमा करायी जा रही है। पंजीकृत व्यापारियों से जमा करायी गयी जमानत के अधिकांश मामलों में कर निर्धारण अधिकारियों के स्तर पर समीक्षा किये जाने पर अर्थदण्ड की कार्यवाही किया जाना उचित नहीं पाया जाता है। इस प्रकार या तो जमा की गयी जमानत का समायोजन कर की धनराशि में हो जाता है, अथवा जमा करायी गयी धनराशि वापस करनी पड़ती है। अत: पंजीकृत व्यापारियों के मामलों में करापवंचन प्रमाणित होने पर ही अभिग्रहण की कार्यवाही की जाये।

अपंजीकृत व्यापारियों के संबंध में

अपंजीकृत व्यापारियों के संबंध मे निम्न बातों का ध्यान रखा जाये :-

(1) अपंजीकृत व्यापारियों के प्रकरणों में की जाने वाली जॉच पर्याप्त नहीं पायी गयी है। कई प्रकरण ऐसे प्रकाश मे आये हैं जिसमें अपंजीकृत व्यापारी द्वारा किसी दूसरे व्यापारी का फर्जी बिल छपवाकर माल का परिवहन किया जाता है अत: ऐसे मामलों को प्रकाश मे लाते हुये कार्यवाही की जाये। इसी प्रकार कुछ व्यापारी जैसे मेन्था आयल , गल्ला आदि के व्यापारी किसानों के माल की आड़ में माल का परिवहन करते हैं परन्तु माल व्यापारी का होता है और ऐसे सम्व्यवहारों पर करापवंचन होता है। अत: यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपंजीकृत व्यापारियों द्वारा करापवंचन के उद्देश्य से माल परिवहन करने के बिन्दु पर सघन चेकिंग करते हुए कार्यवाही की जाये।

(2) .अपंजीकृत के मामलो मे प्रान्त से प्रान्त के अन्दर, प्रान्त बाहर से प्रान्त के अंदर या प्रान्त से प्रान्त के बाहर माल का परिवहन होने पर माल को अभिग्रहीत करतें समय जमानत की धनराशि माल के मूल्य का 40 प्रतिशत ली जाएगी।

सामान्य

वाहनो की जांच हेतु उक्त व्यवस्था का यथावत अनुपालन सुनिश्चित करते हुए यह सुनिश्चित किया जाये कि जांच के दौरान व्यापारियो का अनावश्यक उत्पीड़न न हो एवं करापंवंचन .रोकने की भी यथासम्भव कार्यवाही की जाय। इस क्रम मे निम्न निर्देशो का भी कड़ाई से पालन किया जाये :-

1. जांच के नाम पर किसी भी व्यापारी /ट्रासपोर्टर का वाहन रोक कर उसका अनावश्यक उत्पीड़न न किया जाए।
2. किसी भी इकाई द्वारा जांच हेतु वाहन रोके जाने के एक घण्टे के अन्दर डिटेंशन मेमो जारी किया जाय। डिटेशन मेमो मे वाहन रोके जाने के समय व तिथि का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। इसी प्रकार वाहन छोड़े जाते समय माल के प्रपत्रो पर वाहन छोड़े जाने का समय व तिथि अंकित की जाए।
3. वाहन मे लदे माल अथवा उसके प्रपत्रो मे पाई गयी कमी के आधार पर यदि कोई जांच किया जाना आवश्यक हो तो , विलम्बतम ऐसी जांच 24 घण्टे के अंदर अवश्य पूरी करके वाहन रोके जाने या छोडे जाने का निर्णय लेकर या तो कारण बताओ नोटिस जारी कर दी जाए अथवा वाहन को छोड़ दिया जाए।
4. कारण बताओ नोटिस व अभिग्रहण आदेश स्वच्छ हस्तलिपि मे अथवा टंकित हो तथा माल रोके जाने के कारणो का स्पष्ट उल्लेख हो।
5. माल के सम्बन्ध मे पायी गई सभी कमियो /त्रुटियो का उल्लेख प्रथम बार मे जारी कारण बताओ नोटिस मे ही कर दिया जाए। अपरिहार्य परिस्थितियो को छोड कर मूल कारण बताओ नोटिस जारी होने के उपरान्त पुन: सामान्यत: अनुपूरक / अतिरिक्त नोटिस न जारी की जाए।
6. मात्र सन्देह के आधार पर किसी भी वाहन को न रोका जाय।
7. सरकारी , अर्द्धसरकारी , निगम व पब्लिक लि0 कंपनी के बिल से संबंधित वाहनों को तबतक न रोका जाये जबतक करापवंचन की स्पष्ट संभावना या पूर्व सूचना न हो।

यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि जिन वस्तुओं पर वाणिज्य कर / प्रवेश कर की दरें कम हुयी हैं ऐसी वस्तुओं का परिवहन करने वाले वाहनों एवं संवेदनशील वस्तुओं का परिवहन करने वाले वाहनों की अधिक से अधिक जांच की जाये जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कम की गयी कर की दरों का लाभ उठाकर व्यापारी वास्तविक रूप से आयात किये जा रहे माल के अनुरूप अपना विक्रय धन प्रदर्शित कर रहे हैं अथवा नहीं एवं कहीं इसकी आड़ में

करापवंचन तो नहीं कर रहे हैं। ऐंसी वस्तुओं से सम्बन्धित बिलों का अधिक से अधिक संग्रहण करके कर निर्धारण अधिकारियों को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

करापवंचन से संबंधित ट्रेड जैसे लोहा, पान मसाला (गुटका) आदि के निर्माता से भिन्न ट्रेडिंग फर्म के बिलों पर माल के परिवहन की प्राथमिकता से जॉच की जाये तथा बिल संग्रहित कर संबंधित वि0अनु0शा0 इकाई को तत्परता से अग्रिम जॉच हेतु प्रेषित किया जाये ताकि टैक्स / सेल इनवायस जारी करने वाली डमी फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही हो सके।

प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स, प्लास्टिक स्क्रैप, आयरन स्क्रैप, आयरन ओर, इंगट, कत्था सुपाड़ी आदि कच्चे माल का परिवहन बिलों के अनुसार यदि निर्माता फर्म को नही हो रहा है तो ऐसे वाहनों की सघन जॉच की जाये तथा बिल संग्रहित कर अग्रिम जॉच हेतु तुरन्त संबंधित वि0अनु0शा0 इकाई को प्रेषित किया जाये।

परिपत्र संख्या-चे0पो0-25क-परिपत्र /2008 / 0809095 / वाणिज्य कर दिनांक 13-01-2009 से दिये गये निर्देश कि पंजीकृत व्यापरियो के मामलो मे जमानत जमा होने पर प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा जमानत जमा कराये जाने के एक सप्ताह के अन्दर जमानत जमा का प्रमाण पत्र एवं प्रकरण से सम्बन्धित प्रपत्रो को कर निर्धारण अधिकारी को प्रेषित किये जाने तथा पंजीकृत व्यापारियों के प्रकरणों में अभिग्रहण / जमानत जमा करने के प्रपत्र प्राप्त होने के बाद कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा ऐसे मामलों में 60 दिन के अन्दर कार्यवाही सम्पन्न करते हुए अर्थदण्ड की कार्यवाही के साथ साथ करापंवंचन पाये जाने पर अस्थायी कर निर्धारण की कार्यवाही किये जाने का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

निर्देश दिये जाते है कि उपर्युक्त दिये गये निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। जोनल एडीश्नल कमिश्नर/एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) / ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर का यह दायित्व होगा कि वह दिये गये निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित कराये।

(अनिल संत)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव,संस्थागत वित्त एवं कर एवं निबन्धन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ।
5. समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
6. चेकपोस्ट अनुभाग को 15 प्रतियॉ अतिरिक्त।

(वी0पी0 श्रीवास्तव)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (चे0पो0) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।